<u>न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र.</u> (आप.प्रक.क. :— 374 / 16)

(संस्थित दिनांक :- 04 / 07 / 16)

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र – मौ जिला–भिण्ड., म.प्र.

.....अभियोजन ।

## // विरूद्ध //

01. भागीरथ उर्फ भगवान सिंह पुत्र छोटेलाल कुशवाह उम्र 38 वर्ष। निवासी:— वार्ड कमांक 09 झण्डू मौहल्ला गोरियन टोला मौ, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)।

......अभुयक्त।

<u>// निर्णय//</u> ( आज दिनांक : 07/12/2016 को घोषित )

- 01. अभियुक्त भागीरथ उर्फ भगवान सिंह पर भा.द.सं. की धारा 294, 323 एवं 324 के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपी ने दिनांक : 26/07/2015 को रात्रि लगभग 08:30 बजे फरियादी साहिद के घर के सामने स्थित गोरियन टोला मौ में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी साहिद को मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, फरियादी साहिद की लात—घूसों एवं किसी धारदार आयुध से फरियादी की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की।
- 02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य हैं।
- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :— 26/07/2015 को रात्रि लगभग 08:30 बजे फिरयादी साहिद के घर के सामने स्थित गोरियन टोला मौ में, आरोपी भागीरथ उर्फ भगवान सिंह एवं एक अन्य अज्ञात आरोपी द्वारा फिरयादी साहिद से गाली—गलौच करने, उसकी लात—घूसों से मारपीट करने की लिखित रिपोर्ट फिरियादी साहिद द्वारा उसी दिन थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 187/2015 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 324 सहपिटत धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घ ाटनास्थल का नक्शा—मौका बनाया गया। आरोपी भागीरथ उर्फ भगवान सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। फिरयादी साहिद, साक्षी सिकन्दर खॉ, सरदार मोहम्मद उर्फ सुक्की, विरासत खॉ एवं कल्लू के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 04. अभियुक्त भागीरथ उर्फ भगवान सिंह के विरूद्ध धारा 294, 323 एवं 324 भा.द. सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपी एवं फरियादी/आहत साहिद के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 294 एवं 323 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. न्यायिक विनिश्चय हेत् प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपी भागीरथ उर्फ भगवान सिंह ने दिनांक :— 26/07/2015 को रात्रि लगभग 08:30 बजे फरियादी साहिद के घर के सामने स्थित गोरियन टोला मौ में, फरियादी साहिद की किसी धारदार आयुध से फरियादी की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की?
  - 02. अंतिम निष्कर्ष ?

## सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

- फरियादी साहिद खांन अ.सा.०१ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी भगवान सिंह को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 15 / 11 / 2016 से लगभग एक साल पूर्व की होकर शाम के आठ-नौ बजे की है। वह अपनी पत्नी से बात कर रहा था, तभी भगवान सिंह ने उसे आवाज लगाई, तब वह घर से बाहर आया। साक्षी आगे कहता है कि भगवान सिंह के साथ एक व्यक्ति और था। भगवान सिंह मुझसे गाली-गलीच करने लगा तथा आरोपी ने उसकी लात-घूसों से मारपीट कर दी थी, जिसकी लिखित रिपोर्ट उसने पुलिस थाना मौ में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने ६ ाटनास्थल पर आकर नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी साहिद खांन अ.सा.01 ने आरोपी भागीरथ उर्फ भगवान सिंह द्वारा उसकी किसी धारदार आयुध से मारपीट कर चोट पहुँचाने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी साहिद खांन अ.सा.०१ की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा थाना मौ में दिये गये लेखी आवेदन प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।
- 07. आरोपी एवं फरियादी साहिद खांन के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख पर है और फरियादी / आहत साहिद खांन अ.सा.01 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

08. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी भागीरथ उर्फ भगवान सिंह ने दिनांक :— 26 / 07 / 2015 को रात्रि लगभग 08:30 बजे फरियादी साहिद के घर के सामने स्थित गोरियन टोला मौ में, फरियादी साहिद की किसी धारदार आयुध से फरियादी की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की?

- 09. अभियोजन आरोपी भागीरथ उर्फ भगवान सिंह के विरूद्ध धारा 324 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त को धारा 324 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- 10. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद